

उ० १/२

पत्रावली पेश की तदानीलागत नियुक्ति के विषय में
संलग्न प्रारूप हेतु शामिल मित्र वही वकील
वकील मुताबिक विभाजन प्रस्ताव शामिल
डिप्टी जे० ए० का नियुक्ति किया वकील
प्रतिपादी को कोई रत राज नहीं है।

P. 2 के मुताबिक
अतिम डिप्टी
जारी करने के
आवश्यक है
A. 2
B. 2

अतः वकील वय परा मुताबिक विभाजन
प्रस्ताव शामिल डिप्टी किया जाता है।
विभाजन प्रस्ताव मित्र व डिप्टी को मार्क
वही वही डिप्टी मुक्ति है। पत्रावली प्रस्ताव
प्रकार दिए जम्हा 6 जम्हा की जाण्ड दाखिल
रपार है।



उप खण्ड अधिकारी
चिडावा जिला सुन्सुनू (राज.)

